प्रेस विज्ञप्ति

14/3/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स लोम्पायर के मामले में दिनांकः 12.03.2024 को गुजरात और महाराष्ट्र में 10 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी के दौरान लगभग 8 लाख रुपए मूल्य की सोने की वस्तुएं 1.83 लाख रुपये की नकदी और विभिन्न आपत्तिजनक सामग्री/रिकॉर्ड जब्त कर लिए गए हैं और बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं।

ईडी ने आपराधिक षड्यंत्र करने के लिए मेसर्स लोम्पायर के अज्ञात साझेदारों, मेसर्स इनवर्ट ट्रायंगल के अज्ञात साझेदारों और अन्य के खिलाफ भा.दं.सं. (आईपीसी), 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई, एसीबी, गांधीनगर, गुजरात द्वारा चोरी, धोखाधड़ी, जालसाजी और बैंक ऑफ इंडिया/टेम्पल ट्री इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड को गलत तरीके से रुपये 11.17 करोड़ (लगभग) की हानि पहुँचाने और उससे स्वयं को गलत लाभ पहुँचाने के मामले में दर्ज की गई प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर जाँच शुरू की।

जाँच के दौरान, ईडी ने आरोपी व्यक्तियों द्वारा धोखाधड़ी से प्राप्त धन के अंतिम उपयोग की जाँच करने के लिए लाभार्थियों के कई बैंक खाते के विवरणों का विश्लेषण किया।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।